

सूचना का अधिकार

लोकसूचना अधिकारी

डॉ. कुसुमलता निगवाल

प्राचार्य शा. महा. ल.बा. स्ना. कन्या महाविद्यालय,
किला भवन, इन्दौर

सहायक सूचना अधिकारी

1. डॉ. राजीव दीक्षित
2. प्रो. सुनीता जैन

सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अनुसार –

1. सूचना प्राप्त करने हेतु आवेदक दस रूपये के नॉन जूडिशियल स्टाम्प के साथ आवेदन करे अथवा दस रूपये की शुल्क रसीद सहित आवेदन करें।
2. गरीबी रेखा के नीचे के आवेदक को (प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर) आवेदन के साथ शुल्क जमा करने की आवश्यकता नहीं है।
3. लोक सूचना अधिकारी द्वारा 30 दिन के भीतर सूचना उपलब्ध करा दी जायेगी।
4. मांगी गई जानकारी की छायाप्रतियाँ प्रत्येक (ए-4 अथवा ए-3 आकार) के कागज के लिये दो रूपये के हिसाब से शुल्क लिया जायेगा।
5. यदि सूचना सी.डी. या फ्लॉपी के रूप में मांगी जाती है तो पचास रूपये प्रति सी.डी. या फ्लॉपी लिया जायेगा।

